


झारखण्ड सरकार

## झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004

(सभा द्वारा पारित)

(अधिनियम सं० 4/2004)



सत्यमेव जयते

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,  
राँची द्वारा मुद्रित ।

## झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004

[सभा द्वारा पारित]

झारखण्ड राज्य में गैर अनुदानित शैक्षणिक संस्थाओं के सुदृढीकरण एवं विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पात्रता, शर्तों तथा प्रक्रिया के निर्धारण हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:-

### अध्याय-1

#### प्रारंभिक

#### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

- (1) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 कहा जा सकेगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (3) यह ऐसी तिथि को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र से अधिसूचना द्वारा नियत करे और अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तिथियाँ नियत की जा सकेंगी तथा उससे किसी भी उपबंध के संबंध में उससे प्रारंभ के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ उस तारीख से प्रति निर्देश के रूप में लगाया जा सकेगा, जिसको वह उपबंध प्रवृत्त होगा ।

#### 2. परिभाषाएँ--जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विधेयक में-

- (क) 'अनुदान' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था को दी गयी कोई भी सहायता ।
- (ख) "अनुदान प्राप्त संस्था" से अभिप्रेत है ऐसी कोई मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था, जो राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त कर रही है ।
- (ग) "अधिविद्य परिषद्" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार द्वारा स्थापित अधिविद्य परिषद् ।
- (घ) "प्रतिकारात्मक भत्ता" से अभिप्रेत है ऐसे वैयक्तिक व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए दिया गया कोई भत्ता, जो उन विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो, जिसमें कर्तव्य पालन किया जाय और इसमें कोई यात्रा भत्ता सम्मिलित होगा, किन्तु कोई सत्कार भत्ता या भारत के बाहर किसी भी स्थान तक या से निःशुल्क यात्रा अनुदान सम्मिलित नहीं होगा ।
- (ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिए या मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के ऐसे वर्ग के संबंध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी ।
- (च) "शिक्षा निदेशक" से अभिप्रेत है--
  - (i) स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों और तत्समान या उच्चतर अध्ययन की उन शैक्षिक संस्थाओं के संबंध में, जो तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं से भिन्न हैं, निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत उपनिदेशक या उनसे ऊपर के अधिकारी ।
  - (ii) इंटर महाविद्यालय तथा उच्च विद्यालय के संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत उपनिदेशक या उनके ऊपर के अधिकारी ।
  - (iii) प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के संबंध में, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत उपनिदेशक या उनसे ऊपर के अधिकारी ।

- (छ) "क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक", "जिला शिक्षा पदाधिकारी" एवं "जिला शिक्षा अधीक्षक" से अभिप्रेत है ऐसे शिक्षा के प्रभारी जो राज्य सरकार द्वारा उन पदों पर अधिसूचित किए गए हों ।
- (ज) "शैक्षिक सोसाइटी" या "शैक्षिक एजेन्सी" से अभिप्रेत है पात्र गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था को स्थापित या अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कोई न्यास, व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय ।
- (झ) 'कर्मचारी' में पात्र संस्था में काम करने वाला कोई अध्यापक और प्रत्येक अन्य कर्मचारी सम्मिलित है ।
- (ञ) "विद्यमान संस्था" से अभिप्रेत है इस अध्यादेश के प्रारंभ के पूर्व स्थापित और ऐसे प्रारंभ के समय इस रूप में चल रही कोई भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था ।
- (ट) "संस्था का प्रधान" से अभिप्रेत है किसी संस्था का किसी भी नाम से जाना जाने वाला प्रधान शैक्षणिक अधिकारी ।
- (ठ) 'संस्था' में किसी शैक्षणिक संस्था से संबंधित सभी चल और अचल संपत्तियाँ सम्मिलित है ।
- (ड) "अनुरक्षण अनुदान" से अभिप्रेत है किसी संस्था को दिया गया ऐसा आवर्ती सहायता अनुदान, जिसके ऐसे अनुदान के रूप में माने जाने का निर्देश राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा दे ।
- (ढ) 'प्रबंध' या "प्रबंध समिति" से अभिप्रेत है, किसी संस्था के संबंध में नियम के अधीन गठित प्रबंध समिति और इसमें सचिव या किसी भी नाम से पदाभिहित कोई ऐसा अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, जिसमें संस्था के कामकाज का प्रबंध और संचालन करने का प्राधिकार निहित किया गया है ।
- (ण) "गैर सरकारी शैक्षिक संस्था" से अभिप्रेत है ऐसा कोई महाविद्यालय, विद्यालय, जो शिक्षा देने या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य कोई प्रमाण-पत्र, डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी शैक्षिक विशिष्टता अभिप्राप्त करने के लिए छात्रों को तैयार करने या प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित की गई और चलायी जाती हो या जो राज्य में लोगों के शैक्षणिक विकास के लिए कार्य कर रही हो और जो राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी भी विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन के किसी अन्य प्राधिकरण के न तो स्वामित्वाधीन हो और न उसके द्वारा प्रबंधित ।
- (त) "पात्र संस्था" से अभिप्रेत है कंडिका-3 में उल्लिखित पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाला शैक्षणिक संस्थान ।
- (थ) 'वेतन' में किसी कर्मचारी की कुल परिलब्धियाँ हैं जिनमें उसे तत्समय संदेय महंगाई भत्ता या कोई भी अन्य भत्ता या अनुतोष सम्मिलित है, किन्तु प्रतिकारात्मक भत्ता सम्मिलित नहीं है ।
- (द) "मंजूरी प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं को, जिन्हें राज्य सरकार विहित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, को अनुदान मंजूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ।
- (ध) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य की सरकार ।
- (न) 'अध्यापक' से अभिप्रेत है, कोई आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक या किसी गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्था में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाला या अनुसंधान या किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन और मार्गदर्शन करने वाला किसी भी नाम से अभिहित कोई अन्य व्यक्ति और इसमें संस्था का प्रधान सम्मिलित है, और
- (प) 'विश्वविद्यालय' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य के उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय ।
- (फ) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004,

## अध्याय-2

## 3. अनुदान प्राप्ति हेतु पात्रता :

- (क) इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व शैक्षणिक संस्था राज्य सरकार द्वारा गैर अनुदानित है तथा सरकारीकरण की अपेक्षा नहीं रखता हो ।
- (ख) यदि शैक्षणिक संस्था गैर अनुदानित इंटर स्तरीय महाविद्यालय है तो,
- झारखण्ड अधिविद्य पषर्द से स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त कर चुका हो ।
  - रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत किसी सोसाइटी या न्यास द्वारा संचालित हो अथवा प्रथम अनुदान प्राप्ति के बाद वाले वित्तीय वर्ष तक सोसाइटी या ट्रस्ट से संचालित होने लगे ।
  - महाविद्यालय का शासी निकाय विधिवत गठित हो ।
  - झारखण्ड अधिविद्य पषर्द के अधिनियम तथा इसके परिनियमों, नियमों तथा राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करता हो ।
  - विहित प्रपत्र में आवेदन नियम में यथाविहित प्रक्रिया पूरा करने के उपरान्त झारखण्ड अधिविद्य पषर्द के माध्यम से निर्दिष्ट समय पर मानव संसाधन विकास विभाग में जमा किया गया हो ।
  - विद्यार्थियों की संख्या नियम में यथाविहित संख्या से अन्धून नहीं हो ।
- (ग) यदि शैक्षणिक संस्थान गैर-अनुदानित स्नातक स्तरीय है तो,
- झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विधिनुकूल स्थापित विश्वविद्यालय से स्थायी रूप से सम्बद्ध हो ।
  - रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी या न्यास द्वारा संचालित हो अथवा प्रथम अनुदान प्राप्ति के बाद वाले वित्तीय वर्ष तक पंजीकृत सोसाइटी या ट्रस्ट द्वारा संचालित होने लगे ।
  - महाविद्यालय का शासी निकाय विधिवत गठित हो ।
  - महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की कंडिका-2(एफ) में पंजीकृत हो अथवा अनुदान प्राप्ति के दो वर्षों के अन्दर पंजीकृत हो जाय ।
  - संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम, विनियम, नियम तथा अध्यादेशों के अनुपालन के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन करता हो ।
  - विहित प्रपत्र में आवेदन नियम से यथाविहित प्रक्रिया पूरा करने के उपरान्त संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से निर्दिष्ट समय पर मानव संसाधन विकास विभाग में जमा किया गया हो ।
  - विद्यार्थियों की संख्या नियम में यथाविहित संख्या से अन्धून नहीं हो ।
- (घ) यदि शैक्षणिक संस्था गैर अनुदानित उच्च विद्यालय है तो,
- राज्य सरकार द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त हो अथवा स्वत्वाधारक हो ।
  - रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी या न्यास द्वारा संचालित हो अथवा अनुदान प्राप्ति के बाद वाले वित्तीय वर्ष तक पंजीकृत सोसाइटी या ट्रस्ट द्वारा संचालित होने लगे ।
  - उच्च विद्यालय का शासी निकाय विधिवत गठित हो ।
- (ङ.) यदि शैक्षणिक संस्था गैर अनुदानित प्राथमिक विद्यालय है तो,
- कक्षा 1 से 5, 5 से 8, 1 से 7 अथवा 1 से 8 तक ही पढाई होती हो ।
  - उसे विहित रीति से सक्षम पदाधिकारी द्वारा मान्यता दी गई हो किन्तु सहायता प्राप्त विद्यालयों की श्रेणी में नहीं हो ।

## अध्याय-3

## अनुदान, लेखे और संपरीक्षा

4. अनुदान -राज्य सरकार स्वविवेक से निम्नलिखित अनुदान मंजूर कर सकेगी:--

- (i) अनुरक्षण या आवर्ती अनुदान ।
- (ii) उपस्करों, भवन आदि के लिए अनावर्ती अनुदान ।
- (iii) किसी ऐसी संस्था को तदर्थ, अनावर्ती या आवर्ती अनुदान, जो अखिल भारतीय स्वरूप की हो और जिसकी परियोजना और क्रिया कलापों को केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा ऐसे बंधेजों और शर्तों पर अनुमोदित किया गया हो जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे ।
- (iv) ऐसे अन्य अनुदान जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियमावली के अधीन मंजूर किया जाय ।

5. अनुदान को विनियमित करने वाली सामान्य शर्तें:-प्रत्येक संस्था, जो सहायता अनुदान के लिए आवेदन करती है, के लिए यह समझा जाएगा कि उसने निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने की अपनी बाध्यताओं को स्वीकार कर लिया है ।

- (i) संस्था, जब तक शिक्षा निदेशक द्वारा अनुज्ञा नहीं दे दी जाय, तब तक अभ्यर्थियों को अन्य राज्य में आयोजित किसी परीक्षा के लिए न तो तैयार करेगी और न ही भेजेगी, जब तक कि उसी स्वरूप और स्तर की कोई परीक्षा मानव संसाधन विकास विभाग, अधिविद्य परिषद् या राज्य के विश्वविद्यालय द्वारा झारखण्ड में आयोजित की जाती है ।
- (ii) प्रदेश और संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सभी सुविधाएँ, जिनमें निःशुल्क अध्ययन, अर्द्ध शुल्क अध्ययन सम्मिलित है, जाति, धर्म और भाषा का कोई भेद किए बिना जनता के प्रत्येक वर्ग को उपलब्ध होंगी ।
- (iii) संस्था किसी भी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं चलाई जाएगी उसकी प्रबंध समिति या प्रबंध ऐसा होना चाहिए कि वह जाति और भाषा का कोई भेद किए बिना जनता के प्रत्येक वर्ग को उपलब्ध होगी ।
- (iv) संस्था किसी भी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं चलाई जाएगी, उसकी प्रबंध समिति या प्रबंध ऐसा होना चाहिए कि वह अपनी आस्तियों का उपयोग संस्था के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए करे ।
- (v) संस्था अपनी सभी आस्तियों की सूची मानव संसाधन विकास विभाग को देगी जिनकी आय का उपयोग संस्था के व्यय की पूर्ति करने के लिए किया जाता है ।
- (v) (क) संस्था समय-समय पर प्रबंध समिति में छोटों के अभिभावकों में से सरकार के निर्देशन में सदस्य बनाएगी ।
- (vi) शैक्षणिक संस्था या उसका कोई भी संकाय, विषय, पाठ्यक्रम, कक्षा या अनुभाग विभाग को कम से कम एक पूर्ण शिक्षा वर्ष की लिखित सूचना दिए बिना बन्द नहीं किया जाएगा ।
- (vii) गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्था की समस्त आय को जमा करवाने की निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-
  - (क) संस्था अपना 'संस्था कोष' रखेगी जिसमें सभी स्रोतों जैसे दान, चन्दा, आय हेतु मान्य शुल्क आवर्तक एवं अनावर्तक राजकीय अनुदान आदि की सभी राशियाँ शामिल होंगी ।

- (ख) संस्था पृथक से 'छात्रकोष' रखेगी, जिसमें छात्रों से प्राप्त होने वाली सभी राशि जमा होगी जो अनुदान हेतु आय की परिभाषा में नहीं आती है। इस निमित्त आय व्यय का विस्तृत हिसाब 'छात्रकोष' रोकड़ बही में रहेगा। वार्षिक आय संस्था द्वारा बनाये गए वार्षिक बजट के अनुसार खर्च की जाएगी, परन्तु जिस मद की आय हो, उसी मद में व्यय की जाएगी।
- (ग) संस्था की सुरक्षा कोष आदि की राशि को राज्य सरकार अथवा राष्ट्रीय बचत प्रतिभूतियों यथा डाकघर बचत खाते, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र या किसान विकास पत्र आदि में जमा किया जा सकेगा।
- (घ) अन्य समस्त आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान राशि, जिसकी तीन महीने में व्यय हेतु आवश्यकता न हो, डाकघर बचत खाते में अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते में जमा करवायी जाएगी।
- (ङ.) कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा समस्त राशि और संस्था के अंशदान की समस्त राशि संस्था द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों एवं तरीकों से जमा करवायी जाएगी।
- (viii) सरकार द्वारा संस्था के उचित संचालन के लिए समय-समय पर दिए गए सभी अनुदेशों/आदेशों/विनिश्चयों का संस्था तत्परता से पालन करेगी।
- (ix) कोई नया पाठ्यक्रम, कक्षा अनुभाग, विषय, संकाय या कोई परियोजना प्रारंभ करने के लिए कोई भी अनुदान तब तक अनुज्ञेय नहीं होगा जब तक कि सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त न कर ली गयी हो।
- (x) प्रबंध समिति संचित बचतों को सम्मिलित करते हुए अपनी आय का कोई भी भाग वैसे मदों पर खर्च नहीं करेगा जो संस्था के हित के विरुद्ध हो।
- (xi) निधि की उपलब्धता के अधीन रहते हुए संस्था के प्रबंधन को अनुदान दिया जा सकेगा और उसके लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जाएगा।
- (xii) सहायता की रकम सामान्यतः प्रबंध समिति के सचिव को दी जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में और लेखाबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी रकम, शिक्षा निदेशक द्वारा या उनके द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को दी जा सकेगी।
- (xiii) राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि किसी भी प्रकार के कोई कारण समनुदेशित किए बिना अनुदान को बन्द, कम या उपान्तरित कर सकेगी।
- (xiv) अनुदान या उससे सृजित कोई भी चल या अचल सम्पत्ति का उपयोग ऐसे प्रयोजन से, जिसके लिए वह मंजूर की गयी थी, से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
- (xv) वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष राशि प्रतिवर्ष 31 मार्च को या उसके पहले विभाग/सरकार को अर्पित किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर वह देय सहायता की अगली किस्त में समायोजित किया जाएगा।
- (xvi) संस्था वसूल की गयी विभिन्न प्रकार के शुल्कों के लिए विद्यार्थीवार माँग और संग्रहण रजिस्टर रखेगी।
- (xvii) कोई भी सहायता अनुदान ऐसी संस्था को अनुज्ञेय नहीं होगा जो लेखा परीक्षक/निरीक्षक से बचती है या लेखा परीक्षण/निरीक्षण पदाधिकारी के साथ सहयोग करने में विफल रहती है।

- (xviii) संस्था के सचिव या प्रबंध समिति से सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई भी अन्य व्यक्ति सहायता अनुदान प्राप्त करते समय विहित प्रारूप में एक वचनबंध तीन प्रतियों में प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।
- (xix) संस्था ऐसी अन्य शर्तों का अनुपालन करेगी जो राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से समय-समय पर निर्धारित करे ।

#### 6. अनुदान के लिए प्रक्रिया :

- (1) अनुदान चाहने वाली शैक्षणिक संस्था, विहित प्रपत्र में अपना आवेदन यथा विनिर्दिष्ट तिथि तक संबंधित शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत करेगी । विनिर्दिष्ट तिथि तक शिक्षा निदेशक, अपने द्वारा नाम निर्देशित की जाने वाली समिति द्वारा पैनल निरीक्षण के लिए आदेश करेगा और ऐसी समिति को विहित प्रपत्र में अपना रिपोर्ट यथा विनिर्दिष्ट तिथि तक प्रस्तुत करने का निर्देश देगा । पैनल निरीक्षण रिपोर्ट की संवीक्षा निदेशालय की लेखा शाखा के प्रधान द्वारा की जाएगी । पैनल निरीक्षण समिति द्वारा समय-समय पर अनुशंसित संस्थाओं की सूची राज्य सरकार को भेजी जाएगी । ऐसी रिपोर्ट सम्यक् संवीक्षा के पश्चात् अनुदान समिति के समक्ष रख दी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| (i) प्रशासनिक विभाग के सचिव    | अध्यक्ष    |
| (ii) संबंधित निदेशक            | सदस्य सचिव |
| (iii) वित्त विभाग का प्रतिनिधि | सदस्य      |
- (2) संबंधित शिक्षा निदेशक वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त अनुदान के लिए उपलब्ध हो सकने वाली रकम की सूचना उपर्युक्त समिति को, जब वह सहायता अनुदान के आवेदनों पर विचार करने के लिए बैठक करे, देगा ।
- (3) यदि मूल बजटीय उपबंध से अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी तो सरकार इस आशय की सूचना संबंधित निदेशक को देगी ।
- (4) अनुदान की मात्रा छात्रों की संख्या के आधार पर अनुदान समिति की अनुशंसा पर निर्भर करेगी और अंतिम रूप से उतनी हो सकेगी जितनी सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएगी ।

#### 7. अनुरक्षण या आवर्ती अनुदान को अंतिम रूप दिया जाना--पहले से आवर्ती अनुदान प्राप्त कर रही संस्था पूर्व वर्ष के अनुदान को अंतिम रूप देने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट तिथि तक प्रस्तुत करेगी -

- (i) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रित संस्था के मामले में ऐसा आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिसूचना द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तिथि तक प्रस्तुत किया जाएगा जो उनकी संवीक्षा संस्था के मूल अभिलेखों के प्रतिनिर्देश आधार पर करेगा और प्रत्येक पद पर अपनी स्पष्ट सिफारिश के साथ संबंधित निदेशक को अनुदान को अंतिम रूप देने के लिए अधिसूचना द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तिथि तक संवीक्षित आवेदन जमा करेगा ।
- (ii) यदि संस्था निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहती है तो उपर्युक्त प्राधिकारी दो महीने तक के विलंब को माफ कर सकेंगे और दो महीने से अधिक का विलंब सरकार द्वारा माफ किया जा सकेगा ।
- (iii) इंटर महाविद्यालयों के आवेदन झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के माध्यम से निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पास निर्धारित तिथि तक जमा किया जा सकेगा ।

(iv) स्नातक स्तरीय एवं समकक्ष महाविद्यालयों, जिनके पाठ्यक्रम (तकनीकी शिक्षा को छोड़कर) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, अपना आवेदन संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से निदेशक, उच्च शिक्षा के पास निर्धारित तिथि तक जमा कर सकेंगे।

#### 8. वार्षिक आवर्ती अनुदान का निर्धारण:-

- वार्षिक आवर्ती अनुदान अगले वर्ष में संदेय अनुदान से समायोजित के अध्यक्षीन होगा।
- अनुमोदित व्यय का परिनिर्धारण इन नियमों और ऐसे अन्य अनुदेशों, जो समय-समय पर जारी किए जायें, के अनुसार किया जाएगा।
- पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाली संस्थाओं को अनुदान प्राप्ति के लिए वर्गीकरण विद्यार्थियों की संख्या, महिला संस्थाओं एवं मूक वधिर, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा विकलांगों की शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अलग-अलग किया जाएगा।
- वर्गीकृत पात्र शैक्षणिक संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान की राशि राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित कर सकेगी।

#### 9. आवर्ती अनुदान का दावा :-

- अनुदान का दावा शिक्षा निदेशक द्वारा, चालू वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधान के भीतर, पहले से सहायता अनुदान की सूची में सम्मिलित संस्था को नियमित रूप से मंजूर किया जा सकेगा।
- यदि किसी भी संस्था ने 31 मार्च को समाप्त हुए 12 महीनों के दौरान 200 से कम दिनों के लिए कार्य किया है तो नियमों के अध्यक्षीन देय वार्षिक अनुदान में से आनुपातिक कमी की जा सकेगी।

#### 10. अनावर्ती अनुदान :-

- अनावर्ती अनुदान कुल अनुमोदित और वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक का नहीं होगा।
- अनावर्ती अनुदान भवन (छात्रावासों सहित) के संनिर्माण, मरम्मत और विस्तार के लिए, फर्निचर और उपस्कर के क्रय के लिए और पुस्तकालय-पुस्तकों के क्रय के लिए एवं अन्य ऐसे मद जिसे सरकार उचित समझे, के लिए दिया जा सकेगा।
- सभी मामलों में मंजूर की गयी राशि विमुक्त करने के पूर्व या करते समय यथाविनिर्दिष्ट बन्धक विलेख निष्पादित किया जाएगा और पंजीकृत कराया जाएगा।

#### 11. अनुदान को रोक, कमी या निलंबन :-

- अनुदान, मंजूरी प्राधिकारी के विवेकानुसार रोके जाने, कम किए जाने या निलंबित किए जाने के दायित्वाधीन होगा। यदि उसकी राय में प्रबंधन किन्हीं भी शर्तों को पूरा करने या पालन करने में या इन नियमों में प्रगणित किन्हीं भी उपबंधों का अनुपालन करने में या संस्था का कुशलतापूर्वक प्रबंध करने में विफल रहा है, परन्तु इस नियम के अधीन कोई भी ऐसी कार्रवाई करने के पूर्व प्रबंधन को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों और प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिया जाएगा।



- (ii) संस्थान में विद्यार्थियों की संख्या नियम द्वारा निर्धारित संख्या से कम हो जाने पर अनुदान नहीं दिया जाएगा ।
- (iii) शैक्षिक संस्थान के छात्रों का परीक्षाफल 40 प्रतिशत से कम होने पर अनुदान रोक दिया जाएगा ।
- (iv) महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या किसी विषय विशेष में, नियम द्वारा निर्धारित संख्या से कम होने पर, राजकीय अनुदान से उस विभाग के शिक्षकों तथा कर्मचारियों पर व्यय नहीं किया जाएगा ।

**12. अनुदान की रोक, कमी या निलंबन के विरुद्ध अभ्यावेदन :-**

अनुदान को रोकने, कम करने या उसका निलंबन करने के आदेश के विरुद्ध प्रबंध समिति उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर राज्य सरकार को अभ्यावेदन कर सकेगी । अभ्यावेदन प्राप्ति के तीन माह के भीतर स्पष्ट आदेश पारित कर निष्पादित किया जाएगा ।

**13. लेखे और संपरीक्षा :-**

- (क) वह संस्था जिसे अनुदान दिया गया है, सभी स्रोतों से आय एवं व्यय का लेखा नियम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तरीके से रखेगी ।
- (ख) संस्था के लेखे की वार्षिक संपरीक्षा रिपोर्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या किसी भी प्राधिकृत संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से तैयार की जाएगी ।
- (ग) संस्था के लेखे तथा लेखा रिपोर्ट सरकार या शिक्षा निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग और महालेखाकार के समक्ष निरीक्षण एवं संपरीक्षा के लिए पेश किया जाएगा ।

**14. संस्था का निरीक्षण :-**

संस्था के कार्य कलापों पर समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करने की दृष्टि से शिक्षा निदेशक/राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई भी अधिकारी को पूर्व नोटिस के बिना किसी भी संस्था का या उसके किसी भी भाग का निरीक्षण कर सकेगा तथा संस्था ऐसे निरीक्षण हेतु अभिलेख उपलब्ध करायेगी ।

**15. अन्तरण के लिए पूर्व अनुमोदन :-**

अचल सम्पत्ति का अन्तरण राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जाएगा । इस हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी--

- (क) अचल संपत्ति का वर्णन ।
- (ख) वह प्रयोजन, जिसके लिए उसका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है ।
- (ग) क्रय/निर्माण का वर्ष ।
- (घ) क्रय/निर्माण की लागत ।
- (ङ.) वर्तमान मूल्य ।
- (च) संपत्ति का क्रय/निर्माण करने के लिए प्राप्त सहायता अनुदान की रकम ।
- (छ) अन्तरण के लिए कारण ।
- (ज) अन्तरण की प्रकृति ।
- (झ) किसको अन्तरित किया जाना प्रस्तावित है, और
- (ञ) माँगी गयी अन्य सूचनाएँ, यदि कोई हो ।

16. **नियम बनाने की शक्ति** :-राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी ।
17. **कठिनाई दूर करने की शक्ति**:-यदि इस अधिनियम के उपबंध अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने हेतु ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो ।
18. **निरसन एवं व्यावृत्ति :-**
- (i) बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1981 (अद्यतन संशोधित) की धारा-19 की उपधारा 'क' को इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।
- (ii) झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अध्यादेश 2003 (झा० अध्यादेश 1, 2004) को इस अधिनियम द्वारा निरस्त किया जाता है ।
- (iii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त अधिनियम या उपरोक्त अध्यादेश द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

यह विधेयक झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) विधेयक, 2004 दिनांक 12 मार्च, 2004 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 12 मार्च, 2004 को यथासंशोधित सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

बागुन सुम्बरुई,  
उपाध्यक्ष,  
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

मैं इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करता हूँ ।

दिनांक 25 जून, 2004

वेद प्रकाश मारवाह  
राज्यपाल झारखण्ड ।

सचची प्रतिलिपि

अमरनाथ झा,  
सचिव,  
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।